न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 1/2015/एलआर

गेहरीलाल पिता गंगाराम जाट
निवासी फतहपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 27.02.2015 प्रकरण सं. 17/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 24.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने संवत् 2071 मे मौजा फतहपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 89 रकबा 0.15 है0 भूमि चरागाह पर कब्जा कर सोयाबीन बो कर कब्जा किया है व उक्त आराजीयात पर गत वर्ष भी अपीलान्ट का कब्जा रहा है, जिस आराजीयात पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुए बगैर अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखली व अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के जुर्म मे 60 दिन की सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित दिया, जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बेदखली एवं जुर्माने को यथावत रखते हुए सिविल कारावास का निर्णय इस शर्त पर स्वीकार किया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड दिया हो, व कब्जा नही छोडा हो

तो उसे दी गयी सजा का आदेश स्वतः ही बहाल समझा जावे ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत बयानो से अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान नही किया गया। पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ही पत्रावली मे प्रस्तुत की, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलान्ट का पश्चावतर्ती अतिक्रमण रहा हो। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/02/2015 एवं तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25/11/2014 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही है। क्योकि अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर जिरह का मौका नही दिया गया। इसके अलावा पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया कि जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्ट द्वारा बार–बार राजकीय भूमि पर नियमित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा हो साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अपीलान्ट को विधिवत तामील के बिना विधि विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अतिकमी मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित कर बेदखल करने के अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिकमी के रूप मे 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस दलील दी गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटि नही की है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दलीलो पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 27/02/2015 अपास्त होने योग्य है। फलतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या

17/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 27/02/2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्बन्धित पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

चित्तौड़गढ़ (राज.)

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़